2.1

प्रतिवेदन/औचित्य एवं आवश्यकता

परियोजना का नाम :– **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 905/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईड़ा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.00 कि.मी.) (0.9675है0)**

उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति शासनादेश सं. 4417/III(2)/15–4(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 27.05.2015 के द्वारा 4.00 किमी. लम्बाई हेतु ₹ 18.13 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है। मार्ग निर्माण से ग्राम बोहरो, पजीना, जनता तथा वलनी इत्यादि के ग्रामीणो को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। इस मार्ग के बनने से स्थानीय कास्तकारों द्वारा अपने खेतों में उगाई फसल, फल, सब्जी आदि को बाजार में विपणन हेतु सुविधा होगी, जिससे स्थानीय जनता को रोजगार प्राप्त होगा व पलायन की कमी के साथ–साथ पयर्टन को भी बढावा मिलेगा।

इस मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखण पर मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 कि. मी. है। प्रस्तावित समरेखंण में –– है0 आरक्षित वन भूमि, 0.9675 है0 वन पंचायत भूमि तथा –– है0 सिविल बेनाप सहित कुल 0.9675 है0 वन भूमि प्रभावित होती है। इस हेतु कुल 0.9675 है0 वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत